झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
रिट याचिका (S) संख्या 7674/2017

ज्योति कुमार .....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना, कार्यालय श्यामली, डोरंडा, पत्रालय तथा थाना डोरंडा, जिला रांची
3. उपायुक्त,दुमका
4. जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,दुमका
5. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी-सह-समन्वयक, प्रखंड संसाधन केंद्र, रामगढ़
6. प्रखंड शिक्षा समिति, रामगढ़
7. अध्यक्ष, ग्राम शिक्षा समिति, कुरकुटिया, जिला दुमका .... उत्तरदाता

कोरम: माननीय श्रीमान न्यायामुर्ति संजय प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए : श्री राजेंद्र कृष्ण, अधिवक्ता

उत्तरदाता सख्या 3 से 7 तक के लिये

: श्री जे एफ टोप्पो, जीए- 5 श्रीनिल अभिजीत टोप्पो, जीए-5 के ए सि

उत्तरदाता संख्या 2 के लिए: श्री कृष्ण मुरारी, अधिवक्ता

न्यायालय में मौखिक निर्णय

16/18.03.2024

याचिका कर्ता की ओर से यह रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा निर्गत दिनांक 07.6.2017 के आदेश यानी अनुबंध 8 को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा याचिका कर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

2. याचिका कर्ता के अधिवक्ता श्री राजेंद्र कृष्ण, प्रतिवादी संख्या 3 से प्रतिवादी संख्या 7 श्री जे एफ टोप्पो, विद्वान जीए-5, श्रीनिल अभिजीत टोप्पो तथा प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता श्री कृष्ण मुरारी को सुना।

3. याचिका कर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि असमर्थनिय पत्र दिनांकित 07.06.2017 (अर्थात उपाबंध 8) अवैध, मनमाना और कानून की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है क्योंकि ग्राम सभा ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए याचिका कर्ता को उसकी

सेवाओं से मुक्त करने का निर्णय लिया है। आगे यह प्रस्तुत गया कि ग्राम सभा के निर्णय से पहले, उपायुक्त, दुमका ने अपने पत्र दिनांक 17.09.2016 के माध्यम से स्कूल प्रबंधन समिति/ग्राम शिक्षा समिति को कानून के अनुसार याचिका कर्ता का अनुबंध समाप्त करने का निर्देश दिया था। और उसे सूचित करना है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि याचिका कर्ता को अधिकारियों द्वारा भी नहीं सुना गया था, जब कि दिनांक 07.06.2017 को आदेश पारित किया जा रहा था, जो उपाबंध 8 में है, और वह अपने मामले के समर्थन में अपना बचाव करने में सक्षम नहीं था।

आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पहले ग्राम शिक्षा समिति, अर्थात गाँव शिक्षा समिति ने इसकी बैठक दिनांकित 07.02.2016 यानी उपाबंध 5 के अनुसार अभिनिर्धारित किया कि याचिका कर्ता के खिलाफ आरोप सही नहीं हैं और निरीक्षण पदाधिकारी अथवा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा उपायुक्त को गुमराह किया गया है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त के मद्देनजर, विवादित आदेश को रद्द किया जा सकता है और याचिका कर्ता को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया जा सकता है।

4. दूसरी ओर, उत्तरदाता संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यह रिट याचिका निराधार है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ स्कूल में उपस्थित न होने और कुछ अन्य व्यक्तियों के माध्यम से अपने हस्ताक्षर कराने और स्कूल में भोजन वितरण के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू करने में अपना कर्तव्य नहीं निभाने के गंभीर आरोप हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आम जनता और स्कूल अधिकारियों से शिकायत प्राप्त होने पर, उपायुक्त, दुमका ने याचिका कर्ता को दिनांक 26.08.2016, कारण बताओ नोटिस यानी उपाबंध 2 जारी किया था और जिसका उत्तर याचिकाकर्ता ने पत्र दिनांक 31.08.2016 यानी उपाबंध 3 के माध्यम से दिया था और उसके बाद, उपायुक्त ने, दिनांक 17.09.2016 के पत्र के माध्यम से, अधिकारियों को याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए कानून के अनुसार कदम उठाने का निर्देश दिया था।

यह प्रस्तुत किया गया है कि उपायुक्त, दुमका द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद, स्कूल प्रबंधन समिति /ग्राम शिक्षा समिति ने 07.06.2017 को अपनी बैठक की थी और याचिकाकर्ता को सेवाओं से हटाने का फैसला किया था क्योंकि स्कूल में शिक्षण बंद हो गया है। पूरी तरह से रोक दी गई है और यद्यपि याचिकाकर्ता मुख्य शिक्षक है, वह कभी-कभार ही स्कूल जाता था और उसकी उपस्थिति कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा की जाती थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिका कर्ता ने उपाबंध 5 में निहित जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज भी दाखिल किया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई में इस न्यायालय से किसी भी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं है और इसलिए इस रिट याचिका को खारिज कर दिया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम शिक्षा समिति/स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा पारित आदेश को चुनौती देकर निदेशक, जेईपीसी के समक्ष अपील दायर करने का प्रावधान है और इसलिए, इस रिट याचिका को खारिज किया जा सकता है।

5. इस मामले के अभिलेख् का अवलोकन किया और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया।

6. यह प्रतित होता है कि याचिकाकर्ता कि नियुक्त पारा शिक्षक के रुप मे पत्र दिनांकित 11.03.2010 द्वारा तब ज़िला शिक्षा अधीक्षक - सह - जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, दुमका द्वारा दिनांक 30.10.2008 की तीन सदस्यों वाली ग्राम शिक्षा समिति की अनुशंसा पर कि गइ थी एवं जांच समिति की रिपोर्ट पर याचिका कर्ता का चयन किया गया। इसके बाद 18.03.2010 को प्रखंड शिक्षा समिति की बैठक के आलोक में याचिकाकर्ता की सेवा संपुष्ट कर दी गयी.

7. यह प्रतित होता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ समय पर विद्यालय न आने और किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, यानी जालसाजी करके हाजिरी लगवाने और भोजन वितरित न करने के लिए भी की शिकायतें हैं ।

8. इसके बाद, उपायुक्त, दुमका ने कारण बताओ सूचना दिनांकित 26.08.2016 याचिकाकर्ता को जारी किया गया।

उक्त नोटिस प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता ने 31.08.2016 को प्रस्तुत अपने उत्तर में कहा था कि वह निरीक्षण की तिथि यानी 24.08.2016 को उपस्थित था और अपने कुछ बच्चों के साथ बैंक खाता खोलने के लिए बैंक गया था। माता-पिता और इस संबंध में उन्होंने पहले ही विक्टोरिया सोरेन, यानी पारा शिक्षक, छात्र के माता-पिता, एक जयराम मरांडी और कुछ अन्य व्यक्तियों को भी सूचित कर दिया था और उन्होंने अपने स्पष्टी करण के समर्थन में कुछ कारण भी दिए थे।

9. हालाँकि, दिनांक 17.08.2016 के पत्र के माध्यम से, उपायुक्त,दुमका ने जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला कार्यक्रम कार्यालय-सह-झारखंड शिक्षा परियोजना, दुमका को विद्यालय प्रबंधन समिति ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश करने का निर्देश दिया था। ।

10. जवाबी हलफनामे के अवलोकन से पता चलता है कि उपायुक्त, दुमका के निर्देशानुसार, ग्राम शिक्षा समिति यानी ग्राम शिक्षा समिति की पहली बैठक 15.10.2016 को हुई थी, जिसमें पर मानी टुडू, जो अध्यक्ष थे विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्रामप्रधान सहित अन्य सदस्य और अभिभावक उपस्थित थे और इसे हटाने का निर्णय लिया गया याचिकाकर्ता को सेवाओं से हटा दिया गया क्योंकि वह समय पर स्कूल नहीं आया और उसकी उपस्थिति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। उक्त बैठक का विवरण 31.01.2022 को राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के उपाबन्ध सी के रूप में संलग्न किया गया है।

11. हालाँकि, इस रिट याचिका के अभिलेख से प्रतित होता है कि बाद में, 07.12.2016 को उसी व्यक्ति, यानी स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पर मानी टुड्डू द्वारा पंचायत सदस्य मालती देवी की उपस्थिति में एक और बैठक आयोजित की गई थी। समिति एवं मुखिया स्नेहलता हेंब्रोम एवं उक्त बैठक दिनांक 07.12.2016 का कार्य वृत्त परिशिष्ट 5 के रूप में संलग्न है जिसमें यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ज्योति कुमार के विरुद्ध विद्यालय में अनुपस्थित रहने का आरोप गलत है। यह भी पाया गया कि सरकारी वस्तुओं की चोरी करने का आरोप भी गलत है और यह राय दी गई है कि निरीक्षण अधिकारी ने उपायुक्त को गुमराह किया है या निरीक्षण अधिकारी ने प्रखण्ड शिक्षा विस्तार अधिकारी को गुमराह किया है और यह सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ता का अनुपस्थित रहना गलत है।

12. हालाँकि, बाद में प्रखण्ड शिक्षा समिति द्वारा 07.06.2017 को एक और बैठक आयोजित की गई और जिसका विवरण उपाबन्ध 7 में शामिल है और माता-पिता और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में, इस याचिकाकर्ता को उसकी सेवाओं से हटाने की सिफारिश उपाबन्ध 8 मे समाविष्ट पत्र दिनांक 07.06.2017 जो ग्राम स्तरीय समिति/विद्यालय प्रबंध समिति को सम्बोधित है, कि गई।

13. यह घटित होता है वह बिना ले रहा बैठक में उपस्थित व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति का बयान तथा उपस्थिति पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर सत्यापित किये बिना तथा भोजन वितरण न करने के आरोप की पुष्टि किये बिना ही याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने का निर्णय लिया गया, जो कि पूर्णतः है। अवैध, मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

14. यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को अपने मामले का बचाव करने का कोई भी अवसर नही दिया गया।

15. ऐसा प्रतीत होता है कि जाली हस्ताक्षर के आरोप को किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है और इस प्रकार उत्तरदाता बिना किसी सबूत के बेतुका बयान दे रहे हैं।

16. यह उस पत्र के माध्यम से आगे प्रतीत होता है दिनांकित 17.09.2016 उपाबन्ध के अनुसार उपायुक्त ने गाँव शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा आदेश पारित के पुर्व ही विनिश्चित कर दिया था। इसलिए उपायुक्त, दुमका के निर्देश पर ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा दिनांक 17.09.2016 को पारित पत्र दिनांक 07.06.2017, यानी अनुबंध-8 भी उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने मामले को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन अपरिपक्व निर्णय कर दिया है। ।

17. यह (2009) 2 एससीसी 570 मे प्रतिवेदित रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य के मामले से अच्छी तरह से तय हो गया है में बताया कि कार्यवाही में गवाहों की जांच और दस्तावेजों को साबित करना आवश्यक है। हालाँकि, वर्तमान मामले में ग्राम शिक्षा समिति ने न तो किसी गवाह से पूछताछ की, न ही याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत करने वाले किसी व्यक्ति का बयान अभिलिखित किया और न ही यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज पेश किया कि याचिकाकर्ता ने किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अपनी उपस्थिति अभिलिखित कराई थी और न ही तो किसी छात्र का और न ही किसी अभिभावक का बयान अभिलिखित किया था, कि याचिकाकर्ता अनुपस्थित रहता था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप न तो किसी गवाह द्वारा और न ही किसी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित किया गया था।

18. इस प्रकार, तथ्यो और परिस्थितियों और ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 07.06.2017, यानी उपाबन्ध 8 को अपास्त कर दिया गया है।

प्रतिवादियों को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तारीख से चार (04) सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को सेवाओं में फिर से बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। हालाँकि, अधिकारियों के पास कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में नए सिरे से जांच करने का अधिकार होगा।

19. इस प्रकार, यह रिट याचिका अनुग्यात की जाती है तथा उपरोक्त संपरीक्षण एवं निर्देश के साथ विनिश्चित की जाती है।

(संजय प्रसाद, जे0) एसएम/एएफआर

एस0 एम0
ए0एफ0आर0

यह अनुवाद **किरण शंकर मिश्र**, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।